

जिला खेल कार्यालय, स्पोर्ट्स स्टेडियम, मनेरा, उत्तरकाशी।

कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षक चयन हेतु विज्ञापित

पत्रांक संख्या:-395/का.प्रशि.नि.पत्रा./2015-2016/उ0का0/दिनांक 10 मार्च,2016

जिलाधिकारी महोदय, उत्तरकाशी के स्वीकृति/अनुमोदन पर जिला खेल कार्यालय, उत्तरकाशी द्वारा जिला योजना वर्ष-2016-2017 हेतु निम्नलिखित खेलों में स्थानीय प्रशिक्षण शिविर संचालित करने हेतु विभिन्न कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं।

आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि:- विज्ञापित प्रकाशन तिथि से दिनांक 10 अप्रैल,2016 सांय 05 बजे तक		
अभिलेखों का निरीक्षण/परीक्षण:- दिनांक 11 अप्रैल,2016 प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक		
क्र. सं.	स्थानीय प्रशिक्षण शिविर के नाम एवं संचालन का स्थान	
1	1. स्पोर्ट्स स्टेडियम मनेरा में, बास्केटबॉल,वालीबॉल,क्रिकेट, फुटबॉल,हॉकी,हैण्डबॉल,एथलेटिक्स,बॉक्सिंग,कराटे एवं अन्य प्रचलित खेल। 2. ब्लॉक भटवाड़ी में, वालीबॉल, एथलेटिक्स 3. ब्लॉक डुण्डा में, बैडमिन्टन एवं टी.टी., 4. ब्लॉक चिन्याली सौड़ में नैटबॉल,हैण्डबॉल एवं खो-खो 5. ब्लॉक नौगाँव में, वालीबॉल एवं एथलेटिक्स 6. ब्लॉक पुरोला में, वालीबॉल एवं एथलेटिक्स 7. ब्लॉक मोरी में, वालीबॉल एवं एथलेटिक्स	
क्र.सं.	कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षकों की श्रेणी	मानदेयप्रतिमाह (रु० में)
1	1. अर्जुन/दोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता खिलाड़ी/प्रशिक्षक अथवा 2. ओलम्पिक/वर्ल्ड कप में प्रतिभाग कर चुके खिलाड़ी/प्रशिक्षक अथवा 3. एशियाई/कॉमनवेल्थ/एफ्रो एशियन/सैफ गेम्स में पदक विजेता एवं एन.आई.एस. से नियमित कोर्स का प्रशिक्षण डिप्लोमाधारी खिलाड़ी/प्रशिक्षक	20000
2	1.एशियाई/कॉमन वेल्थ/एफ्रो एशियन/सैफ गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ी/प्रशिक्षक या 2. ऐसे खिलाड़ी/प्रशिक्षक जिन्होंने एशियाई,कॉमनवेल्थ एवं एफ्रो एशियन प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया हो एवं एन.आई.एस. से नियमित कोर्स का प्रशिक्षण डिप्लोमाधारी खिलाड़ी/प्रशिक्षक	17000
3	1. ऐसे खिलाड़ी/प्रशिक्षक जिन्होंने एशियाई,कॉमनवेल्थ/एफ्रो एशियन/सैफ गेम्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया हो या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया हो या 2. एन.आई.एस. से नियमित कोर्स का प्रशिक्षण डिप्लोमाधारी खिलाड़ी/प्रशिक्षक	14000
4	ऐसे खिलाड़ी/प्रशिक्षक जिन्होंने सीनियर नेशनल में पदक प्राप्त किया हो	10000
5	सीनियर वर्ग नेशनल में प्रतिभाग/अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त कर्ता/अखिल भारतीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्तकर्ता खिलाड़ी/प्रशिक्षक	7000
6	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभाग/सीनियर नॉथ जोन में प्रतिभाग/जूनियर नेशनल में पदक/सब जूनियर में पदक/नेशनल स्कूल में स्कूल गेम्स में पदक/एन.आई.एस. सर्टिफिकेट कोर्स/भारतीय सेवा में सर्विसेज/कमाण्ड/अखिल भारतीय पुलिस गोम्स में प्राप्तकर्ता/शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमाधारी एम.पी.एड./डी.पी. एड./बी.पी.एड खिलाड़ी/प्रशिक्षक	5000

- आवेदकों की आयु दिनांक 01 अप्रैल,2016 को 21 वर्ष से कम एवं दिनांक 15 फरवरी,2017 को 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- समस्त आवेदन दिनांक 10 अप्रैल,2016 को केवल पंजीकृत डाक द्वारा सांय 05.00 बजे तक जिला खेल कार्यालय,स्पोर्ट्स स्टेडियम,मनेरा,उत्तरकाशी में अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
- नियुक्ति/चयन की शर्तें एवं आवेदन पत्र कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर सांय 05 बजे तक या uttarkashi.nic.in (department/sports) से भी प्राप्त कर सकते हैं।
- दिनांक 11 अप्रैल,2016 को प्रातः 10.00 बजे अभिलेखों का निरीक्षण/परीक्षण हेतु जिला खेल कार्यालय,स्पोर्ट्स स्टेडियम,मनेरा,उत्तरकाशी में सभी आवेदकों को (जिनके द्वारा आवेदन किया गया है) वे सभी अपने मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित हों। पृथक से किसी भी आवेदक को सूचित नहीं किया जायेगा। अनुपस्थित आवेदक के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी।
- प्रेषित आवेदन-पत्र के साथ मुख्य आवेदन पत्र वाले लिफाफे पर "कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षक हेतु आवेदन पत्र " लिखा होना अनिवार्य है,
- आवेदक अपने समस्त अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति आवेदन-पत्र के साथ सलग्न करें।
- पूर्ण रूप से भरा/हस्ताक्षर न होने पर आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी/कॉन्ट्रेक्ट है जोकि केवल माह 15 अप्रैल,2016 से 15 फरवरी, 2017 तक ही मान्य होगी। विज्ञापित को बिना कारण बताये निरस्त या आंशिक संशोधन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास निहित होगा।
- चयनित कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षकों को उक्त सभी ब्लॉक एवं स्पोर्ट्स स्टेडियम,मनेरा,उत्तरकाशी में स्थानीय प्रशिक्षण शिविर का संचालन करना होगा।
- एक आवेदक केवल एक ही खेल में आवेदन कर सकता है।
- उपरोक्त निर्धारित मानदेय 30 कार्य दिवस हेतु है। यदि किसी कार्य दिवस में कोई कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षक अनुपस्थित रहता है तो उसका उस दिन का मानदेय नहीं प्रदान किया जायेगा।
- आवेदक प्रशिक्षक द्वारा खेल विभाग के मानकों के अन्तर्गत निर्धारित समयानुसार प्रातः एवं सांय प्रतिदिन नियमित रूप से प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। यदि कोई प्रशिक्षक निर्धारित समय में प्रातः एवं सांय प्रशिक्षण स्थल में अनुपस्थित पाया जाता है तथा प्रशिक्षण में पूर्ण समय नहीं देता है तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित प्रशिक्षक के स्थान पर द्वितीय वरीयता वाले प्रशिक्षक की नियुक्ति कर दी जायेगी। प्रशिक्षण स्थल से अनुपस्थित होने/पाये जाने पर एवं सेवा-शर्तों अथवा विभाग के विपरीत कार्य करने पर तत्काल प्रशिक्षण सेवाओं से मुक्त कर दिया जायेगा, जिस हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- आवेदक प्रशिक्षक ने खेल विभाग द्वारा आयोजित खेल प्रशिक्षण शिविर एवं प्रतियोगिताओं के संचालन के साथ-2 विभाग की उज्ज्वल गरिमा के लिये कार्य करना होगा। कॉन्ट्रेक्ट खेल प्रशिक्षकों को विभाग द्वारा समय-2 पर राष्ट्रीय पर्वों एवं अन्य तिथियों में आयोजित होने वाली जिला/राज्य स्तरीय प्रतियोगिता/विशेष शिविर में सहयोग देने हेतु आयोजन अवधि में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अनुपस्थित रहने पर सम्बन्धित कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षक को प्रशिक्षण सेवाओं से हटा दिया जायेगा।
- चयनित कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षक को खेल प्रशिक्षण की सेवा शर्तों आदि के सम्बन्ध में एक अनुबन्ध पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- स्थानीय प्रशिक्षण शिविर का संचालन समय (शीतकालीन (अक्टूबर से फरवरी) :-प्रातःकाल 6.00 बजे से 8.00 बजे तक एवं सांयकाल 3.00 बजे से 6.00 बजे तक। (ग्रीष्मकालीन(मार्च से सितम्बर) :- प्रातःकाल 5:30 बजे से 7:30 बजे तक एवं सांयकाल 4:30 बजे से 7.00 बजे तक।
- सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों को कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षक के रूप में चयनित नहीं किया जायेगा।
- यदि प्राइवेट संस्थाओं में कार्यरत कोई अभ्यर्थी कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन करता है तो सम्बन्धित नियुक्त प्रशिक्षक को नियमित रूप से प्रशिक्षण स्थल में उक्त उल्लिखित समयानुसार प्रातः एवं सांयकालीन समय में पूर्ण अवधि में प्रशिक्षण देने के साथ-2 विभाग द्वारा वर्षभर समय-समय पर आयोजित प्रतियोगिता/विशेष प्रशिक्षण शिविर में भी पूर्ण दिवस उपस्थित रहकर सहयोग करना अनिवार्य है।
- कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षकों का चयन शासनादेश संख्या:-145/VI-2/2014-1(11)/2006 दिनांक 26 नवम्बर, 2014 एवं शासनादेश संख्या:-456/VI/2015 -1(11)/2006 /खेलकूद अनुभाग/देहरादून: दिनांक 11 जनवरी,2016 के नियमानुसार किया जायेगा।
- चयनित कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षकों की संख्या एवं दिये जाने वाला मानदेय घट-बढ़ सकता है।
- अधिक जानकारी के लिए फोन. न:-01374-212007/9411110329/9411725263/9639521699 ई-मेल आईडी- sportsofficeruki@gmail.com

(देवेन्द्र चन्द्र भट्ट)
जिला क्रीडाधिकारी
उत्तरकाशी।



आवेदन का प्रारूप

जिला खेल कार्यालय, स्पोर्ट्स स्टेडियम, मनेरा, उत्तरकाशी
वर्ष-2016-17 में कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षक हेतु आवेदन-पत्र
आवेदन संख्या:-.....(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

खेल का नाम जिस हेतु आवेदन किया जा रहा है.....

स्वयं प्रमाणित नवीनतम
पासपोर्ट फोटो यहाँ पर
चिपकाएं

1:- आवेदक का नाम (हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)

(अ) हिन्दी में :-

(ब) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में:-

2:- पिता/पति का नाम :- श्री.....

3:- माता का नाम:- श्रीमती.....

4:- जन्म तिथि (हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)

(अ) अकों में :-.....

(ब) शब्दों में :-.....

आयु दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को आयु..... वर्ष..... माह..... दिन

5:- लिंग महिला/पुरुष :-.....

6:- नागरिकता:-.....धर्म.....जाति.....

7:- स्थाई पता पिन कोड सहित :-.....

8:- पत्र व्यवहार का वर्तमान पता पिन कोड सहित:-.....

(अ) फोन न0(एस.टी.डी.कोड सहित).....(ब) मोबाइल न0.....

9:- सेवायोजन कार्यालय का नाम.....(1) पंजीकरण संख्या एवं दिनांक.....

10:- संस्था का नाम (केवल प्राइवेट संस्थाओं कर्मचारी/खिलाडी हेतु)

(अ) पद का नाम.....(ब) संस्था का NOC की आदेश/पत्र संख्या एवं दिनांक

11:- शैक्षिक अर्हताओं का क्रमवार विवरण

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	वर्ष	उत्तीर्ण श्रेणी
1	हाई स्कूल		
2	इण्टरमीडिएट		
3	इन.आई.एस. डिप्लोमा		
4	अन्य		

12:- खेल अर्हताओं का क्रमवार विवरण

क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम	वर्ष	अंक/स्थान
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

13:- मैंशपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे खेल विभाग की खेल प्रशिक्षण की सभी सेवा शर्तें मान्य हैं (विज्ञप्ति एवं अनुबन्ध पत्र के अनुसार)। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये समस्त विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही हैं तथा मैंने इस विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में भविष्य में यदि कोई विवरण/सूचनाएँ असत्य या गलत पायी जाय या कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना संज्ञान में आये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायें। यदि नियुक्ति के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आयें तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जाय, साथ ही उक्त अवधि में मेरे द्वारा विभाग से प्राप्त मानदेय धनराशि को मैं वापस करूँगा/करूँगी। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी एवं मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। नियमित नियुक्ति के लिये मेरे द्वारा किया गया दावा अमान्य होगा।

11:-स्थान.....

दिनांक.....

12:-आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम.....

(आवेदक के हस्ताक्षर न होने पर आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।)